न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल,
अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण कमांक 838–पीबीआर/2016 विरूद्ध आदेश दिनांक 02–03–2016 पारित द्वारा न्यायालय अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर, प्रकरण कमांक 83/2015–16/अपील

.....

मानसिंह पुत्र स्व0श्री लक्ष्मणसिंह
निवासी सोड़ा का कुआॅ, जती के तवेले के पास,
किलागेट ग्वालियर

..... आवेदक

विरूद्ध

1–सावित्री उर्फ मुन्नी पुत्री स्व0लक्ष्मण पत्नी परिमालसिंह
2–सुगुन पुत्री स्व0श्री लक्ष्मण पत्नी स्व0श्री नारायणसिंह
3–बडी मुन्नी पुत्री स्व0श्री लक्ष्मण पत्नी श्री खलकी पटेल
निवासी गण गौसपुरा नम्बर 1 हजीरा ग्वालियर.

..... अनावेदकगण

.....

श्री विनोद श्रीवास्तव, अभिभाषक–आवेदक
श्री पी.सी.मिश्रा, अभिभाषक–अनावेदक कमांक 2 व 3

.....

:: आदेश ::

(आज दिनांक 27/4/17 को पारित)

यह निगरानी आवेदक द्वारा मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संक्षेप में केवल "संहिता" कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 02–03–2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य सन्क्षेप में इस प्रकार है कि ग्राम दीनारपुर तहसील ग्वालियर स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 130 रकबा 0.669 हेक्टेयर, सर्वे क्रमांक 131 रकबा 0.753 हेक्टेयर, सर्वे क्रमांक 133 मिन रकबा 0.293 हेक्टेयर कुल किता 3 कुल रकबा 1.715 के भाग 1/2 के अभिलिखित भूमिस्वामी लक्ष्मणसिंह थे । उनकी मृत्यु होने के उपरांत आवेदकगण द्वारा नामान्तरण पंजी पर दिनांक 17–4–1989 को आदेश पारित कराकर प्रश्नाधीन भूमि पर अपना नाम दर्ज करा लिया गया है इस आदेश के विरूद्ध प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 12–10–2015 को आदेश पारित कर तहसील न्यायालय का आदेश निरस्त किया जाकर प्रश्नाधीन भूमि पर वारिसाना नामान्तरण किये जाने के आदेश दिये गये । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध अपील अपर आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत की गई और अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 2–3–2016 को आदेश पारित कर द्वितीय अपील निरस्त की गई । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ आवेदिका के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि अनुविभागीय अधिकारी के द्वारा आवेदक के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही करने में गंभीर वैधानिक त्रुटि की गई थी, ऐसी स्थिति में अपर आयुक्त द्वारा अनुविभागीय अधिकारी का आदेश स्थिर रखने में अन्यायपूर्ण कार्यवाही की गई । यह भी आधार लिया गया कि अनावेदकगण द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रथम अपील लगभग 26 वर्ष विलम्ब से प्रस्तुत की गई थी, परन्तु अवधि विधान की धारा 5 के आवेदन में विलम्ब का समाधानकारक कारण नहीं दर्शाया गया था, इस कारण दोनों अपीलीय न्यायालयों का यह दायित्व था कि वे विलम्ब का कारण पता कर आदेश पारित करते । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा जिन दस्तावेजों के आधार पर वारिसाना नामान्तरण करने का आदेश पारित किया गया है उन दस्तावेजों का परीक्षण उनके द्वारा नहीं किया गया है । अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि अपीलीय न्यायालय द्वारा पंजीकृत विक्रय पत्र में अनावेदकगण द्वारा दी गई सहमति के आधार पर

मृतक भूमिस्वामी लक्ष्मण का उत्तराधिकारी माना है, जबकि विक्रय में अनावेदकगण द्वारा इसलिये सहमति दी गई थी क्योंकि उनके द्वारा पूर्व में अपना हिस्सा प्राप्त कर लिया गया है । उनके द्वारा निगरानी स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित आदेश निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया ।

4/ अनावेदक कमांक 2 व 3 के विद्वान अधिवक्ता द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :–

(1) आवेदक की ओर से तहसील न्यायालय में जो सजरा प्रस्तुत किया गया है उसमें स्व0भूमिस्वामी लक्ष्मणसिंह के दो वारिस बताये हैं पहला आवेदक स्वयं और उसकी माता और अनावेदकगण को सजरा में नहीं बताकर आवेदक द्वारा दुर्भावना पूर्ण आदेश पारित कराया गया है ।

(2) अनावेदकगण स्व0 भूमिस्वामी की पुत्रियॉ है और इसलिये पंजीकृत विक्रय पत्र निष्पादित करते समय उनकी सहमति ली गई थी इसलिये अनुविभागीय अधिकारी द्वारा वारिसाना नामान्तरण आदेश पारित करने में कोई त्रुटि नहीं की गई है ।

(3) अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश को वरिष्ठ न्यायालय में कोई चुनौती नहीं दी गई है, अतः इस स्तर पर अवधि विधान की धारा 5 के आवेदन पत्र के संबंध में कोई तर्क स्वीकार योग्य नहीं है ।

(4) आवेदक द्वारा व्यवहार न्यायालय में अस्थायी निषेधाज्ञा हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया था, जिसे व्यवहार न्यायालय द्वारा निरस्त किया गया है ।

5/ उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया। तहसीलदार के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि तहसीलदार द्वारा आदेश पारित करने में अनावेदकगण को सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया है, ऐसी स्थिति में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा तहसील न्यायालय का आदेश निरस्त करने में किसी प्रकार की कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता नहीं की गई है । इसके अतिरिक्त अनुविभागीय अधिकारी द्वारा वारिसाना नामान्तरण किये जाने के आदेश दिये गये हैं जो कि पूर्णतः न्यायिक कार्यवाही है । अभिलेख से यह भी स्पष्ट है कि व्यवहार न्यायालय में आवेदक की ओर से प्रश्नाधीन भूमि के

स्वत्व के संबंध में वाद प्रस्तुत किया गया था जो कि निरस्त हुआ है । दर्शित परिस्थितियों अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश पूर्णतः वैधानिक एवं उचित होने से उसकी पुष्टि करने में अपर आयुक्त द्वारा कोई त्रुटि नहीं की गई है । इस प्रकार दोनों अधीनस्थ अपीलीय न्यायलयों के समवर्ती निष्कर्षो में हस्तक्षेप का आधार इस निगरानी में नहीं है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 02–03–2016 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर